(54) 56

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R5325-II/16

1— श्रवण सिंह तनय लोलर सिंह

2— गोकरण सिंह तनय लोलर सिंह

3— रमन सिंह तनय लोलर सिंह

सभी निवासी ग्राम जोकहा थाना बैकुण्ठपुर जिला रीवा म.प्र.

...............निगरानीकर्तागण

बनाम्

रामगरीब तनय सूर्यदीन मिश्रा उम्र .... निवासी ग्राम जोकहा थाना बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. ....गैरनिगरानीकर्ता

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर जिला रीवा म.प्र. के रा.प्र.क. 24/अ/12/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अधिवक्ता श्री जयशंकर मिश्रा द्वारा पेश। 18-7-16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं —

1— यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने आ.ख.क. 61 स्थित ग्राम जोकहा ज.नं. 192 तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र का कथित सीमांकन आदेश दिनांक 13.07.2015 को पारित करा लिया है। उक्त सीमांकन आदेश में निगरानीकर्तागण को पूर्व तरफ 0.20 कड़ी चौड़ा व 3.00 जरीब लंबा में कब्जा करना बताया है। उक्त सीमांकन आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत आदेश **EX P₁** है।

2— यह कि निगरानीकर्तागण उक्त आराजी ख.क. 61 के सरहद्दी कास्तकार हैं। तथा आ.नं. 62/4 रबा 0.101 हे., 62/3 रकबा 0.101 हे., 621/6 रकबा 0. 105 हे. के भूमिस्वामी हैं। सरहद्दी काश्तकार होने से प्रश्नगत सीमांकन में

(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5325-II/16 जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/8/19	इस प्रकरण में दिनांक 19/7/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13/7/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/8/19	